कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

कमांक / बैठक / 2019 / 333 दिनांक :: 27 अगस्त, 2019

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 2 अगस्त, 2019 को सांय 4.00 बजे श्री बी.एल. कोठारी, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 7 मार्च, 2019 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 7 मार्च, 2019 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 7 मार्च, 2019 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 7 मार्च, 2019 के कार्यवाही विवरण को निम्न प्रकार से अभिवृद्वि करते हुए अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया जाता हैः–

1– प्रस्ताव संख्या 2 (माता का थान नाला भू अवाप्ति प्रस्ताव अनुमोदन):– उक्त प्रस्ताव में प्रथम चरण में 30 फीट भूमि अवाप्ति करने का निर्णय लिया था तथा द्वितीय चरण में 70 फीट भूमि अवाप्ति करने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा में उक्त सडक को 100 फीट चौडाई में सडक बनाने की घोषणा की है। अतः 70 फीट चौडी भूमि (कुल 100 फीट चोडी सडक जिसमें नाला सम्मिलित है) अवाप्ति की कार्यवाही की जावे।

2– प्रस्ताव संख्या 3 (भैरव नाला भू अवाप्ति प्रस्ताव अनुमोदनार्थ):– नेशनल हाई–वे ऑथिरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे भूमि उपलब्ध नहीं होने से नाले हेतु भूमि उपलब्ध कराने से मना करने के कारण एलाईनमेन्ट में परिवर्तन आवश्यक हो गया है। अतः इस संबंध में वैकल्पिक एलाईनमेन्ट का सर्वे आदि करने की स्वीकृति दी जाती है।

3– प्रस्ताव संख्या 4 (जोधपुर केंट रेलवे स्टेशन सम्पर्क सडक भू अधिग्रहण प्रस्ताव):– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–क (8) के तहत भी कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर का बजट वर्ष 2019–20 का अनुमोदन ।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम सख्याक 2) के अध्याय 9 की धारा 59 (1) के अनुसरण में प्रचलित प्रारूप में प्राप्तियों एवं संवितरणों के अनुमान वित्तीय वर्ष 2019–2020 के बजट के स्वरूप में मय वित्तीय वर्ष 2018–2019 के वास्तविक आय व्यय के अंक जिनका विस्तृत विवरण संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत है। प्राप्तियों एवं संवितरणों का सक्षिप्त ब्योरा इस प्रकार है :– (रू लाखों में)

क्र.स.	विवरण	आय व्ययक के अनुमान वर्ष 2018–19	संशोधित प्रावधान एव वास्तविक आय व्ययक वर्ष 2018–19	आय व्ययक अनुमान वर्ष 2019–20
1	कुल प्राप्तियॉ मद	102200.00	19352.73	42570.00
2	कुल व्यय मद	102200.00	19714.26	42570.00

सलग्नः– बजट प्रारूम पेज 1 से 83 तक

बजट चर्चा के दौरान निदेशक–वित्त ने अवगत करवाया कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जोजरी रिवर फ्न्ट की डी.पी.आर तैयार करने एवं ऐलिवेटेड रोड कि कन्सलटेन्सी एवं डी.पी. आर तैयार करने के कार्य को बजट घोषणा में लेने के कारण प्राधिकरण द्वारा बजट मद 5003 वृहद परियोजना में कन्सलटेन्सी एवं डी.पी.आर का कार्य जोजरी रिवर फ्न्ट में राशि रूपये 500. 00 लाख का प्रावधान लेने तथा अन्य कन्सलटेन्सी व डी.पी.आर कार्य ऐलिवेटेड रोड हेतु राशि रूपये 30.00 लाख को बढा कर राशि रूपये 300.00 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित किया।

उक्त राशि अन्य आर.ओ.बी जयपुर रोड आर.टी.ओ. फाटक में 200.00 लाख, भैरव नाला निर्माण कार्य में राशि रूपये 300.00 लाख एवं माता का थान नाला निर्माण कार्य में राशि रूपये 270.00 लाख समायोजित करना प्रस्तावित किया गया।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत बजट का उक्त संशोधन के साथ अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.07.2019 का प्रस्ताव संख्या 4 –जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 (प्रारूप) में ग्रामीण क्षैत्र की डी. सी. आर. के संबंध में ।

उपरोक्त प्रस्ताव में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.07.2019 में निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–''बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव में लघु उद्योग (स्माल स्कैल इण्डस्ट्रीज) को शामिल नहीं किया गया है। अतः उक्त प्रस्ताव में लघु उद्योग (स्माल स्कैल इण्डस्ट्रीज) को भी इण्डस्ट्रीयल में जोड़े जावे तथा तद्नुसार प्रस्ताव कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।'' प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यकारी समिति की बैठक में सैद्धान्तिक रूप से सहमति दी गई है। अतः प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से वर्तमान में उद्योग के स्थान पर चूंकि उद्यम शब्द का उपयोग होता है। अतः प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव में लघु उद्योग के स्थान पर सूक्ष्म लघु

एवं मध्यम उद्यम (Micro, small and medium Interprises) शब्द का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव को अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.07.2019 का प्रस्ताव संख्या 5 –कॉरपोरेट पार्क, नॉलेज सिटी एवं हेल्थ केयर सिटी, आदि की डी. सी. आर. के संबंध में चर्चा ।

उपरोक्त प्रस्ताव में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.07.2019 में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–"बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया कि उपरोक्त डी. सी.आर. में 10 हैक्टेयर की बाध्यता को विलोपित किया जाना उचित होगा। साथ ही उपरोक्त प्रस्ताव में "Note

- Farm House may be allowed on road width as per prevailing Govt. norms.
- Special Activities like I.T. Park, Bio-technology Park etc., the schemes of not less then 10 hectares shall be permitted as per Township Policy-2010 & the parameters for the above schemes shall be governed with the circular of UDH dated 26-02-2013 & thereafter any revisions in the above circular by the competent authority." को भी विलोपित किया जाना उचित होगा।

साथ ही उक्त डी.सी.आर. में Light industries एवं General industries के स्थान पर Non-polluting (प्रदूषण रहित) एवं Non-manufacturing (गैर–विनिर्माण) industries" शब्द को जोड़ते हुए उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार डी.सी.आर. प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।" प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में निर्णयार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कारपोरेट पार्क की डी.सी.आर. के संबंध में कारपोरेट पार्क प्रस्तावित डी सी आर का अनुमोदन करते हुए क्या कॉरपोरेट पार्क की डी0सी0आर0 में गैर–विनिर्माण उद्योग शब्द के स्थान पर सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यम को शामिल किया जा सकता है, इस संबंध में मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु प्रकरण भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.07.2019 का प्रस्ताव संख्या 38 –जोन दक्षिण के क्षैत्रफल–15604 हैक्टेयर (156.04 वर्ग किमी) के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने बाबत।

उपरोक्त प्रस्ताव में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.07.2019 में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–"बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।"

प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में निर्णयार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से जोन दक्षिण के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने के कार्यकारी समिति के निर्णय का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: भदवासिया रेलवे क्रोसिग से माता का थान सडक तक नाला निर्माण कार्य ।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19.04.2018 के बिन्दु सं 4 पर भदवासिया रेलवे क्रोसिंग से माता का थान सड़क पर price escalation के भुगतान हेतु प्रकरण रखा गया था। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि देरी से प्रस्तुत price escalation का भुगतान नियमानुसार है अथवा नहीं। इसकी पुनः समीक्षा की जाए। प्राधिकरण के आदेश की पालना में आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.04.2019 को एक कमेटी निदेशक अभियांत्रिकी, निदेशक वित एवं निदेशक विधि की बनाई गई। कमेटी द्वारा दिनांक 23.04.2019 को राय व्यक्त की गयी कि price escalation का भुगतान अनुबंध की धारा 45 के तहत प्रत्येक तीमाही में संवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जबकि कार्य समाप्ति दिनांक 12.06.13 तक संवेदक द्वारा कोई price escalation का बिल प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसी स्थिति में संवेदक को नियम व अनुबंध के तहत price escalation का भुगतान देय नहीं होता है।

चूंकि शेडयूल ऑफ पावर के आईटम संख्या 57 के तहत प्राधिकरण ही price escalation के भुगतान हेतु सक्षम है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(एजेण्डा)

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19.04.2018 के बिन्दु सं 4 पर भदवासिया रेलवे क्रोसिंग से माता का थान सड़क पर price escalation के भुगतान हेतु प्रकरण रखा गया था। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि देरी से प्रस्तुत price escalation का भुगतान नियमानुसार है अथवा नहीं। इसकी पुनः समीक्षा की जाए। प्राधिकरण के आदेश की पालना में आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.04.2019 को एक कमेटी निदेशक अभियांत्रिकी, निदेशक वित एवं निदेशक विधि की बनाई गई। कमेटी द्वारा दिनांक 23.04.2019 प्रस्तुत प्रतिवेदन में राय व्यक्त की गयी कि price escalation का भुगतान अनुबंध की धारा 45 के तहत प्रत्येक तीमाही में संवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जबकि कार्य समाप्ति दिनांक 12.06.13 तक संवेदक द्वारा कोई price escalation का बिल प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसी स्थिति में संवेदक को नियम व अनुबंध के तहत price escalation का भुगतान देय नहीं होता है।

अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गहनता से विचार विमर्श किया एवं पुनः बैठक में उपस्थित निदेशक– अभियांत्रिकी, निदेशक–विधि एवं निदेशक–वित्त की राय ली गई। कमेटी की रिपोर्ट अनुसार संवेदक ने बिल अत्यधिक देरी से प्रस्तुत किया गया है। अतः संवेदक को नियमों एवं अनुबन्ध के तहत Price escalation देय नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र (बिल) निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: प्राधिकरण की पूर्व बैठक दिनांक 19 अप्रैल, 2018 से गठित कमेटी की दिनांक 10.06.2019 की प्राधिकरण में पुष्टी कराने के कम में। JDA/FTS/2611

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19.4.2018 के प्रस्ताव सं. 06 में विभिन्न सार्वजनिक शमशानो, सामुदायिक भवनों आदि के भुगतान हेतु एक कमेटी का गठन किया गया। इस कम में

दिनांक 10.06.2019 को कमेटी की मिटिंग आयोजित की गई। जिसमें निम्न निर्णय प्राधिकरण स्वीकृति की प्रत्याशा में लिये गये :—

1. राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 10.4.2019 द्वारा गैर राजकीय भूमि पर किये गये विकास कार्यो से संबंधित जानकारी मांगी गई थी जिसका कमेटी द्वारा दिनांक 24.5.2019 को हुई बैठक में तैयार प्रतिउतर की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

2. कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे विकास कार्य जो कि राजकीय भूमि में किये गये है कार्यस्थल की भूमि का स्वामित्व राजकीय होने का सत्यापन प्रत्येक पत्रावली पर तहसीलदार जेडीए से करवाकर प्रस्तुत पत्रावलीयों पर नियमानुसार भुगतान करने की कार्यवाही शीघ्र की जाये।

3. जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश क्रमांक 38—39 दिनांक 2.5.2012 द्वारा 93 विकास कार्यो की वितिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जोन उतर में जारी की गई थी। जिसको की पूर्व में संदेहास्पद माना गया था। इस क्रम मे कमेटी द्वारा निदेशक अभियांत्रिकी एवं मुख्य लेखाधिकारी जेडीए को आवश्यक जांच कर आगामी बैठक में पूर्ण तथ्यों के साथ रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अतः उक्त निर्णयो की पुष्टी हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19 अप्रैल, 2018 के प्रस्ताव संख्या 6 के द्वारा बनायी गई कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 10 जून, 2019 की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया किः—

1— राज्य सरकार को प्रस्तुत किये गये पत्र में मांगे गये मार्गदर्शन/ स्वीकृति प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जावे तथा साथ ही उक्त कमेटी को अधिकृत किया गया कि यदि अन्य किसी विषय पर राज्य सरकार से मार्गदर्शन अपेक्षित हो तो लिया जाये।

2— 93 विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को जारी करते समय पत्रावली पर निदेशक—वित्त की टिप्पणी के पश्चात् तत्कालीन आयुक्त एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर है तथा उनके द्वारा कोई विपरित टिप्पणी नहीं की गई है। अतः जांचकर्ता निदेशक—अभियांत्रिकी एवं मुख्य लेखाधिकारी उक्त तथ्यों का समावेश करते हुए अपनी रिपोर्ट शीघ्र पूर्ण करें तथा जांच के निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

3— जो कार्य प्राधिकरण/नगर निगम/ग्राम पंचायत की भूमि पर कराये गये है संबंधित ग्राम पंचायत/नगर निगम को स्थानान्तरित किया जावे या ऐसा संभव नहीं होने पर उनको पंजीकृत संस्थाओं को गोद देने के लिए विनियम भी बनाये जावे तथा उन विनियमों के तहत उन्हें गौद देने की कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 8 :: प्राधिकरण के विभिन्न जोन मे पूर्व मे स्वीकृत कार्यो की सूची जिनकी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राधिकरण की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए उचित निर्णायार्थ प्रस्तुत है।

क. सं.	जोन	कार्यो की संख्या	प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति	विशेष विवरण
1	पश्चिम	32 + 3 = 35	1267.82	
2	उत्तर	9 + 5 = 14	555.95	
3	मुख्यालय	10 + 2 = 12	618.33	
4	दक्षिण	5 + 2 = 7	450.30	
5	पूर्व	17 + 3 = 20	1312.77	
	योग	**88**	**4205.17**	

प्रस्ताव संख्या 8 :: A) विषय :– जोन पश्चिम मे विभिन्न विकास कार्यो बाबत्।
(1)

प्राधिकरण के जोन पश्चिम द्वारा निम्न विकास कार्यो की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृतियां जारी की गई थी जिसकी प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्यो की निविदाएं भी जारी की जा चुकी है परंतु उक्त विकास कार्यो के कार्यादेश जारी नही किये जा सके ।

क्र. सं	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	विशेष
1	श्याम नगर योजना मे पार्क एवम ओ.सी.एफ हेतु चारदीवारी निर्माण कार्य ।JDA/FTS/58153	94.00 लाख	कार्य स्थल पर अतिक्रमण होने के कारण संवेदक को कार्यादेश जारी नही किया जा सका।
2	अशोक उघान परिसर मे पतगंबाजी की प्रमिमा लगााने हेतु पेडस्टल का निमार्ण कार्य ।JDA/FTS/58324	1.15 लाख	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
3	Manufacturing supplying and installation of statue of patangbazi (09 nos) ।JDA/FTS/58112	11.05 लाख	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
4	रूपनगर दितिय स्थित पार्क मे भ्रमण पटिका दिवार एवम गैट लगाने का कार्य ।JDA/FTS/58131	15.00 लाख	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
5	वीर दुर्गादास मसूरिया पहाडी पर चिल्ड्न पार्क एवं सनसेट पाइन्ट विकसित करने का कार्य ।JDA/FTS/58122	45.00 लाख	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
6	पडित दीनदयाल उपाघ्याय संस्थान कमला नेहरू नगर मे मरम्मत एवं अन्य विकास कार्य ।JDA/FTS/58084	43.35 लाख	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
7	supply & fixing of decorative cast iron benhes in zone west annual rate contract JDA/FTS/66304	10.00 लाख	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
8	जोन पश्चिम मे शहर के प्रमुख मार्गो कालोनियों कार्यालयो हेतु सूचना पाटिटका की आपूति एवं फिनिशिग काय ।JDA/FTS/66309	14.58 लाख	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
9	supply & fixing of tree guard in zone west jda annual rate contract JDA/FTS/66314	5.00 लाख	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही

37

10	पाल रोड शास्त्री नगर माना से डी.पी.एस सर्किल तक सडक के मध्य डिवाईडर सोन्दर्यकरण का कार्य JDA/FTS/ 57644	113.71 लाख	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा निरस्त
11	अशोक उघान मे तरणलाल विकास कार्य प्रथम चरण JDA/FTS/66332	200.00 लाख	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
12	अशोक नगर चादणा भाखर मे सी.सी सडक निर्माण काय JDA/FTS/57775	9.96 लाख	उक्त नगर निगम द्वारा करवाये जाने के कारण कार्य निरस्त हेतु प्रस्तावित
13	manufacturing supply ing and installation of statue of surya namaskar 12 position JDA/FTS/58070	12.60 लाख	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
14	पडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान कमला नेहरू नगर मे चार दीवारी एव मुख्य द्वार का निमाण कार्य JDA/FTS/58096	31.00 लाख	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
15	manufacturing supply ing and installation of statue of jaiwanta bai & mahrana pratap JDA/FTS/58105	2.65 लाख	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
16	अशोक उघान परिसर मे सुर्य नमस्कार की प्रतिमा लगाने हेतू पेडस्टल का निमार्ण कार्य JDA/FTS/57630	8.75 लाख	संवेदक LOI जारी। परन्तु कार्यादेश जारी नही।
17	चोपासनी सडक पर कोठारी अस्पताल के पास व सिवाची गेट स्कुल के आगे पिछे सडक रिकारपेट का कार्य JDA/FTS/58281	7.50 लाख	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी तीन बार निविदा जारी परन्तु किसी निविदा दाता द्वारा भाग नही लिया गया ।
18	ग्राम बडली मे मुख्य जैसलमेर रोड से बलवन्त सिह के घर तक 500 मीटर एवं एन एच 125 से मोर भाखरी जाने वाले रास्ते पर सीसी सडक निर्माण कार्य।JDA/FTS/58339	33.55 लाख	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
19	Construction of BT road agnihotripuram colony chopasni .JDA/FTS/58462	12.05 लाख	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
20	कायलाना स्थित सर्किल पर जयवंता बाई की प्रतिमा लगाने हेतु पेडस्टल का निर्माण कार्यJDA/FTS/58315	1.00 लाख	उक्त कार्य की निविदा मे किसी भी निविदादाता द्वारा भाग नही लिया गया।
21	समा्ट अशोक उघान के सामने अशोक की प्रतिमा लगाने हेतू पेडस्टल का निमार्ण कार्य ।JDA/FTS/58164	3.85 लाख	संवेदक LOI जारी। परन्तु कार्यादेश जारी नही
22	श्याम नगर योजना मे सडक निर्माण कार्य JDA/FTS/58253	114.00 लाख	कार्य स्थल पर अतिक्रमण होने के कारण संवेदक द्वारा पीजी राशि जमा नही करवाई गई
23	जोन पश्चिम के क्षेत्राधिकार मे स्थित विभिन्न पार्को मे मरम्मत एवं विकास कार्य (वार्षिक	71.83	निविदा खोली गई। दर स्वीकृति की प्रकिया में

31

	अनुबंध) JDA/FTS/57748		
24.	वार्ड 08 मे पुलिस चौकी के पीछे स्थित पार्क में विकास काय JDA/FTS/ 57741	10.12	निविदा खोली गई। दर स्वीकृति की प्रकिया में
25	ग्राम सुराणी स्थित मुख्य तालाब का सुदृढीकरण एवं अन्य विकास कार्य JDA/FTS/57792	46.10	निविदा खोली गई। दर स्वीकृति की प्रकिया में
26.	ग्राम तोलेसर चारणान स्थित खंडिया तालाब का सुदुढीकरण एवं अन्य विकास कार्य JDA/FTS/57789	42.84	निविदा खोली गई। दर स्वीकृति की प्रकिया में
27	पाल रोड मेडतिया गार्डन से प्रभु पार्श्वनाथ नगर में गोपालदास के घर तक सडक निर्माण कार्य JDA/FTS/57735	27.78	निविदा खोली गई। दर स्वीकृति की प्रकिया में
28	जोन पश्चिम के विभिन्न पांच पार्को मे ओपन जिम लगाने का कार्य (ज्वाला विहार, प्रेम विहार, मीरा पार्क सेक्टर 17 ई महावीरपुरम एवं सिन्धु महल के सामने पार्क में) JDA/FTS/57803	24.17	निविदा खोली गई। दर स्वीकृति की प्रकिया में
29	मुख्य चौपासनी रोड से चौपासनी डिस्पेन्सरी तक सडक सुदृढीकरण का कार्य JDA/FTS/57784	30.93	निविदा खोली गई। दर स्वीकृति की प्रकिया में
30	वार्ड 08 सेक्टर 4 मे स्थित राधाकृष्ण पार्क में ओपन एयर जिम उपकरण की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य JDA/FTS/57711	7.85	निविदा खोली गई। दर स्वीकृति की प्रकिया में
31	वार्ड 08 मे स्थित झुलेलाल पार्क मे ओपन एयर जिम उपकरण की आपूर्ति एवं लगने का कार्य JDA/FTS/57663	7.85	निविदा खोली गई। दर स्वीकृति की प्रकिया में
32	शिक्षक आवास नगर कॉलोनी चौपासनी स्कुल के पास सडक निर्माण कार्य JDA/FTS/57722	11.50	निविदा खोली गई। दर स्वीकृति की प्रकिया में
	कुल राशि	**1070.72 लाख**	कुल राशि

नोट :– उपरोक्ता अनुसार कम सख्या 1 से 32 की प्रभारी अधिकारी द्वारा एजेण्डे के सम्बद्ध में प्रस्ताव निम्न अनुसार है।

क.संख्या	अभिषशा / प्रस्ताव
1	कार्य स्थल पर अतिकमण होने के कारण सवेदक को कार्योदेश जारी नही किया जा सका। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
2	कार्य स्थल पर अतिकमण होने के कारण सवेदक को कार्योदेश जारी नही किया जा सका। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
3	कार्य स्थल पर अतिकमण होने के कारण सवेदक को कार्योदेश जारी नही किया जा सका। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
4	कार्य स्थल पर अतिकमण होने के कारण सवेदक को कार्योदेश जारी नही किया जा सका। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
5	कार्य स्थल पर अतिकमण होने के कारण सवेदक को कार्योदेश जारी नही किया जा सका। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
6	कार्य स्थल पर अतिकमण होने के कारण सवेदक को कार्योदेश जारी नही किया जा सका। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
7	कार्य स्थल पर अतिकमण होने के कारण सवेदक को कार्योदेश जारी नही किया

37

	जा सका। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
8	कार्य की निविदा जारी नही हुई। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
9	कार्य की निविदा जारी नही हुई। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
10	कार्य की निविदा जारी नही हुई। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
11	कार्य की निविदा जारी नही हुई। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
12	कार्य की निविदा जारी नही हुई। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
13	कार्य की निविदा जारी नही हुई। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
14	कार्य की निविदा जारी नही हुई। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
15	कार्य की निविदा जारी नही हुई। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
16	सवेदक को LOI जारी परन्तु कार्यादेश जारी नही । अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
17	तीन बार निविदा जारी परन्तु किसी निविदा दाता भाग नही लिया गया। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
18	कार्य की निविदा जारी नही हुई। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
19	कार्य की निविदा जारी नही हुई। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
20	उक्त कार्य की निविदा मे किसी भी निविदादाता द्वारा भाग नही लिया गया। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
21	सवेदक को LOI जारी परन्तु कार्यादेश जारी नही। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
22	कार्य स्थल पर अतिकमण होने के कारण सवेंदक द्वारा पीजी राशि जमा नही करवाई गई। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
23	प्राधिकरण की वर्तमान वितिय स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
24	प्राधिकरण की वर्तमान वितिय स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
25	प्राधिकरण की वर्तमान वितिय स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
26	प्राधिकरण की वर्तमान वितिय स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
27	प्राधिकरण की वर्तमान वितिय स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
28	प्राधिकरण की वर्तमान वितिय स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
29	प्राधिकरण की वर्तमान वितिय स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
30	प्राधिकरण की वर्तमान वितिय स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित

31	प्राधिकरण की वर्तमान वितिय स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
32	प्राधिकरण की वर्तमान वितिय स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित

B) विषय :– जोन पश्चिम मे कार्यादेश जारी विकास कार्यो के संबंध मे।

प्राधिकरण के जोन पश्चिम द्वारा निम्न विकास कार्यो के कार्यादेश जारी किये जा चुके है परंतु उक्त कार्य आज दिनांक तक शुरू नही हो सके। जबकि उक्त कार्यो की समयावधि भी पूर्ण हो चुकी है।

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	कार्यादेश दिनांक	कार्यादेश सं.
1.	मुख्य पाल रोड परा डी.पी.एस चोराहे पर के पास स्वागत द्वार निर्माण कार्य	171.40 लाख	27.03.2018	F 38 (40)2017-18
2.	प्रेक्ष अस्पताल के पास टेकटर ऐसोसियन कोलोनी मे सडक के रिकारपेट का कार्य	3.70 लाख	22-01-2018	F 38 (26)2017-18
3	Manufacturing supply ing and installation of statue of samrat ashok	22.00 लाख	07-08-2018	F 38 (27)2018-19
		योग	**197.10 लाख**	
		महायोग ए±बी	**1267.82 लाख**	

नोट :– उपरोक्ता अनुसार कम सख्या 1 से 3 की प्रभारी अधिकारी द्वारा एजेण्डे के सम्बद्ध में प्रस्ताव निम्न अनुसार है।

क.संख्या	अभिषशा / प्रस्ताव
बी 1	कार्यादेश जारी परन्तु आज दिनांक तक कार्य शुरू नही। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
बी 2	कार्यादेश जारी परन्तु आज दिनांक तक कार्य शुरू नही। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित
बी 3	कार्यादेश जारी परन्तु आज दिनांक तक कार्य शुरू नही। अतः प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त किया जाना प्रस्तावित

प्रस्ताव संख्या 8 :: A विषय जोन उत्तर विभिन्न विकास कार्यो के सम्बंध में (2)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के जोन उत्तर द्वारा निम्नलिखित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृतियाँ जारी की गई थी जिनकी निविदा जिनकी निविदा जारी की गई थी परन्तू कार्यादेश जारी नही किये गये :–

क्र. स.	कार्य का नाम	A&F राशि (लाखो मे)	विशेष विवरण
1	शीतला माता मंदिर कागा के पास स्थित मैदान की आर सी सी दिवार निमार्ण कार्य (FTS no. 40973)	40.50	निविदा 01.10.18 को खोली गई, आचार संहिता के कारण दर स्वीकृत नहीं हुई।

2.	Construction of CC road in Sultan nagar, BJS area (FTS no. 41049)	25.00	आचार संहिता के कारण APS जमा नहीं
3	वार्ड न.64 स्थित माँ भगवती नगर, नया बास व उगम विहार में मैन हॉल उपर करने का कार्य (FTS no. 52271)	0.98	सीमित निविदा आंमत्रित की गई थी, किसी संवेदक ने भाग नहीं लिया, कार्य दुसरे कार्य के साथ Extra item स्वीकृत कर करवाया जा रहा है।
4	पावटा सी रोड स्थित शक्तिनगर गली न० 1 से 9 लिंक सडक सुदृढीकरण नवीनीकरण का कार्य। (FTS no. 41023)	51.41	आचार संहिता प्रभावी होने के कारण दर स्वीकृत नहीं, निविदा निरस्त।
5	शक्तिनगर मुख्य सडक से हनुवन्त ए मार्ग स० 01 मटकी चौराहा तक सी सी सडक निर्माण कार्य। (FTS no. 41061)	113.95	आचार संहिता प्रभावी होने के कारण दर स्वीकृत नहीं, निविदा निरस्त।
6	बी जे एस आर टी ओ ऑफिस के सामने जगदम्बा मंदिर पार्क के मुख्य द्वार का निर्माण कार्य (FTS no. 32689)	8.30	संवदेक द्वारा APS राशि जमा नहीं करवाने तथा नगर निगम से NOC प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यादेश जारी नहीं।
7	Interlocking tiles work at Government girls higher secondary school lal maidan paota C road Jodhpur (FTS no. 40998)	29.40	निगम क्षेत्राधिकार, निगम से NOC प्राप्त परन्तु 15% राशि से समायोजन हेतु सहमत नहीं।
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भदवासिया में टाईल्स लगाने व नवीन पार्क विकास कार्य (FTS no. 40979)	27.17	निगम क्षेत्राधिकार, NOC में 15% राशि से समायोजन हेतु सहमत नहीं।
9	हर्बल पार्क माता का थान में सनसेट पॉइन्ट का निर्माण कार्य (FTS no. 10664)	49.80	कार्यादेश जारी नहीं
	योग	**346.51**	

B जोन उत्तर में कार्यादेश जारी विकास कार्यो के सम्बंध में

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के जोन उत्तर द्वारा निम्नलिखित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृतियाँ जारी की गई थी जिनके कार्यादेश जारी किये जा चुके है परन्तु मौके पर विवाद के कारण कार्य शुरू नही हो सके तथा कार्य की समयावधि भी पूर्ण हो चुकी है :-

1	माणक लाव मथानिया बाई पास (ग्राम पंचायत दईजर एवं माणक लाव) से हुडडों की ढाणी तक सडक निर्माण कार्य(FTSno. 11833)	80.70	मौके पर विवाद के कारण कार्य निरस्त
2	इन्द्रोका गॉव में भॅवर सिंह जी के घर से उम्मेद सिंह के घर होते हुए जेठू सिंह के घर तक सी सी सडक निर्माण कार्य। (FTS no. 12030)	22.20	मौके पर विवाद के कारण कार्य निरस्त
3	Construction of link Road from Gayatri Nagar to Backside of RTO office, jodhpur (FTS no. 11794)	13.60	मौके पर विवाद के कारण कार्य निरस्त।
4	माता का थान बाईपास रोड में ऑगणवा गॉव में	86.96	मौके पर विवाद के कारण

37

	स्थित क्षतिग्रस्त सडक का निर्माण कार्य (FTS no. 13738)		कार्य निरस्त।
5	हनुवन्त ए स्थित प्लॉट न. 333 के सामने पृथ्वीराज चौहान पार्क में विकास कार्य। (FTS no. 11809)	5.98	कार्य प्रारम्भ नहीं
	योग	**209.44**	
	कुल योग (A+B)	**555.95**	

प्राधिकरण की वर्तमान वित्तीय स्थिति के मध्यनजर उपरोक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों पर निर्णय हेतु प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है।
अतः उपरोक्त प्रकरण प्राधिकरण की वर्तमान वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उपरोक्त सभी कार्यो के सम्बंध में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के जोन उत्तर द्वारा एजेण्डा में उल्लेखित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृतियाँ जारी की गई थी जिनकी निविदा जारी की गई थी परन्तू कार्यादेश जारी नही किये गये तथा कुछ प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृतियाँ जारी की गई थी जिनके कार्यादेश जारी किये जा चुके है परन्तु मौके पर विवाद के कारण कार्य शुरू नही हो सके तथा कार्य की समयावधि भी पूर्ण हो चुकी है।

अतः उपरोक्त प्रकरण प्राधिकरण की वर्तमान वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उपरोक्त सभी कार्यो के सम्बंध में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव संख्या 8 :: A) विषय :– जोन मुख्यालय मे विभिन्न विकास कार्यो बाबत्।
(3)

प्राधिकरण के जोन मुख्यालय द्वारा निम्न विकास कार्यो की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृतियां जारी की गई थी जिसकी प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्यो की निविदाएं भी जारी की जा चुकी है परंतु लोकसभा व राज्यसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने के कारण उक्त विकास कार्यो के कार्यादेश जारी नही किये जा सके अतः नीचे वर्णित निम्न कार्यो मे से क्रम सं. 06, 07 की निविदा खोले हुए 70 दिवस से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है एवं अन्य की निविदा आचार संहिता के कारण स्थगित कर दी गई थी ।

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	विशेष
1.	गीता भवन रोड से जीएनपुरोहित वाली गली होते हुए वासन आई केयर सी कल्ला वाली गली तक डामर सडक कार्य	2.80	निविदा स्थगित
2.	गुलाब सागर स्थित राजमहल बालिका स्कूल की बाहरी चार दीवारी एवं अन्य विकास कार्य	3.80	निविदा स्थगित
3.	युआईटी 96 क्वार्टर प्रताप नगर मे सीसी सडक निर्माण कार्य	17.20	निविदा स्थगित
4.	शेरे राजस्थान कॉलोनी मे सीवरेज एवं सीसी सडक निर्माण कार्य	13.00	निविदा स्थगित
5.	संजय गांधी कॉलोनी ए मे सीसी सडक एवं सीवरेज इन्टरलोकिंग टाईल्स का कार्य	17.60	निविदा स्थगित
6.	सिवांची गेट से जनता मिष्ठान गोदाम से	51.00	दर स्वीकृति की प्रकिया में

	क्रिया का झालरा तक सीसी सडक व सीवर लाईन का कार्य		निविदा खोले हुये 70 दिन से अधिक
7.	सोजती गेट से नई सडक चौराहे का विकास कार्य	64.25	दर स्वीकृति की प्रकिया में निविदा खोले हुये 70 दिन से अधिक
8.	सिटी पुलिस सदर बाजार के नये भवन का निर्माण कार्य	132.80	पुनःनिविदा आमंत्रित दर स्वीकृत नही
9.	जोन मुख्यालय के अन्तर्गत मुख्य सड़को पर थर्मोप्लास्टिक लाईनिंग का कार्य।	23.80	आचार संहिता लगने के कारण निविदा जारी नही
10	राजमहल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयमे हॉल का निर्माण कार्य	85.00	आयुक्त महोदय के अनुसार प्राधिकरण की वितीय स्थिति ठीक नही होने के कारण वर्तमान मे वितीय भार लिया जाना उचित नही
	योग	**411.25**	

नोट :– उपरोक्ता अनुसार कम सख्या 1,3,4,5 व 9 में प्रभारी अधिकारी द्वारा एजेण्डे के सम्बद्ध में प्रस्ताव निम्न अनुसार है।

क्र.सं	कार्य का नाम	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	गीता भवन रोड से जीएनपुरोहित वाली गली होते हुए वासन आई केयर सी कल्ला वाली गली तक डामर सडक कार्य FTS/15699	पुनःनिविदा आमंत्रित परंतु आचार संहित लगने के कारण निविदा स्थगित तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित
2	युआईटी 96 क्वार्टर प्रताप नगर मे सीसी सडक निर्माण कार्य FTS/15643	निविदा आमंत्रित परंतु आचार संहित लगने के कारण निविदा स्थगित तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित
3	शेरे राजस्थान कॉलोनी मे सीवरेज एवं सीसी सडक निर्माण कार्य FTS/15625	पुनःनिविदा आमंत्रित परंतु आचार संहित लगने के कारण निविदा स्थगित तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित
4	संजय गांधी कॉलोनी ए मे सीसी सडक एवं सीवरेज इन्टरलोकिंग टाईल्स का कार्य FTS/15665	निविदा आमंत्रित परंतु आचार संहित लगने के कारण निविदा स्थगित तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित
5	जोन मुख्यालय के अन्तर्गत मुख्य सड़को पर थर्मोप्लास्टिक लाईनिंग का कार्य। FTS/36381	आचार संहिता लगने के कारण निविदा जारी नही तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित

नोट :– उपरोक्ता अनुसार कम सख्या 2,6,7,8 व 10 में प्रभारी अधिकारी द्वारा एजेण्डे के सम्बद्ध में प्रस्ताव निम्न अनुसार है।

क्र.सं	कार्य का नाम	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	सिवांची गेट से जनता मिष्ठान गोदाम से क्रिया का झालरा तक सीसी सडक	निविदा खोली गई दर स्वीकृत नही तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु

	व सीवर लाईन का कार्य **FTS/33299**	प्रस्तावित
2	सोजती गेट से नई सडक चौराहे का विकास कार्य FTS/15676	निविदा खोली गई दर स्वीकृत नही तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित
3	सिटी पुलिस सदर बाजार के नये भवन का निर्माण कार्य **FTS/15582**	निविदा खोली गई दर स्वीकृत नही तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित
4	गुलाब सागर स्थित राजमहल बालिका स्कूल की बाहरी चार दीवारी एवं अन्य विकास कार्य **FTS/15607**	निविदा खोली गई दर स्वीकृत नही तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित
5	राजमहल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयमे हॉल का निर्माण कार्य FTS/11276	आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार प्राधिकरण की वितीय स्थिति ठीक नही होने के कारण वर्तमान मे वितीय भार लिया जाना उचित नही तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित

B) विषय :– जोन मुख्यालय मे कार्यादेश जारी विकास कार्यो के संबंध मे।

प्राधिकरण के जोन मुख्यालय द्वारा निम्न विकास कार्यो के कार्यादेश जारी किये जा चुके है परंतु उक्त कार्य आज दिनांक तक शुरू नही हो सके। जबकि उक्त कार्यो की समयावधि भी पूर्ण हो चुकी है।

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	कार्यादेश दिनांक	कार्यादेश सं.
1.	घंटाघर से घोडा घाटी किला रोड तक हैरिटेज पाथ का निर्माण कार्य	90.60	12-09-2018	F38(19) 2018-19
2.	वार्ड नं. 35 मे स्थित माणक चौक, तुरजी का झालरा, चौहानजी का नोहरा, लायकन मस्जिद से किल्लीखान तक हैरिटेज पाथ निर्माण कार्य	116.48	12-09-2018	F38(18) 2018-19
	योग	**207.08**		
	महायोग A+B	**618.33**		

नोट :– उपरोक्ता अनुसार कम सख्या 1 व 2 में प्रभारी अधिकारी द्वारा एजेण्डे के सम्बद्ध में प्रस्ताव निम्न अनुसार है।

क्र.सं	कार्य का नाम	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा / प्रस्ताव**
1.	घंटाघर से घोडा घाटी किला रोड तक हैरिटेज पाथ का निर्माण कार्य FTS/15738	कार्यादेश जारी परंतु कार्य आज दिनांक तक शुरू नही तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित
2	वार्ड नं. 35 मे स्थित माणक चौक, तुरजी का झालरा, चौहानजी का नोहरा, लायकन मस्जिद से किल्लीखान तक हैरिटेज पांथ निर्माण कार्य FTS/16772	कार्यादेश जारी परंतु कार्य आज दिनांक तक शुरू नही तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित

प्रस्ताव संख्या 8 :: A) विषय :– जोन दक्षिण मे विभिन्न विकास कार्यो बाबत्।
(4) **(निविदा जारी नही)**

प्राधिकरण के जोन दक्षिण द्वारा निम्न विकास कार्यो की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृतियां जारी की गई थी परंतु निम्नलिखित कार्यो की निविदा जारी नही की जा सकी ।

क्र. सं	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	विशेष
1	मधुबन हाऊसिंग बोर्ड सब्जी मण्डी मुख्य सड़क पर डामरीकरण एवं इन्टरलोकिंग टाईल्स लगाने का कार्य।	97.60	पुनः निविदा जारी किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई। नगर निगम क्षेत्र मे होने के कारण स्वीकृति नही मिली।
2	वार्ड सं. 04 मे बासनी पुलिस थाने के पीछे स्थित मेघवालो की ढाणी मे डामर सड़क निर्माण कार्य।	12.40	निविदा स्थगित
3	जोन दक्षिण मे शोभावतो की ढाणी मुख्य सड़क पंजाब नेशनल बैंक से मधुबन हाऊसिंग बोर्ड की मुख्य सड़को व बासनी पुलिस थाने तक पीछे सड़क चौड़ाई व सुदृढीकरण का कार्य।	204.50	पत्रावली को पैरा संख्या 125/एन मे आयुक्त महोदय द्वारा प्रतीक्षा हेतु टिप्पणी की गई है।
	योग	**314.50**	

नोट :– उपरोक्ता अनुसार कम सख्या 1से 3 में प्रभारी अधिकारी द्वारा एजेण्डे के सम्बद्ध में प्रस्ताव निम्न अनुसार है।

क्र.सं	कार्य का नाम	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1	मधुबन हाऊसिंग बोर्ड सब्जी मण्डी मुख्य सड़क पर डामरीकरण एवं इन्टरलोकिंग टाईल्स लगाने का कार्य। JDA/FTS/59316	पुनः निविदा जारी किये जाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई। नगर निगम क्षेत्र मे होने के कारण स्वीकृति नही मिली तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित
2	वार्ड सं. 04 मे बासनी पुलिस थाने के पीछे स्थित मेघवालो की ढाणी मे डामर सड़क निर्माण कार्य। JDA/FTS/59361	पुनः निविदा जारी परंतु किसी भी निविदादाता द्वारा भाग नही लिया गया तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित
3	जोन दक्षिण मे शोभावतो की ढाणी मुख्य सड़क पंजाब नेशनल बैंक से मधुबन हाऊसिंग बोर्ड की मुख्य सड़को व बासनी पुलिस थाने तक पीछे सड़क चौड़ाई व सुदृढीकरण का कार्य। JDA/FTS/59346	उक्त निविदा मे किसी भी निविदादाता द्वारा भाग नही लिया गया तथा पत्रावली को पैरा संख्या 125/एन मे आयुक्त महोदय द्वारा प्रतीक्षा हेतु टिप्पणी की गई है तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित

B) विषय :– जोन दक्षिण मे विभिन्न विकास कार्यो बाबत्। (निविदा खोली गई परंतु कार्योदेश जारी नही)

प्राधिकरण के जोन दक्षिण द्वारा निम्न विकास कार्यो की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृतियां जारी की गई थी तथा निम्नलिखित कार्यो की निविदा खोली गई परंतु कार्यादेश जारी नही किये जा सके।

क्र. सं	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	विशेष
1	ग्राम सांगरिया से ग्राम भाखरासनी तक सम्पर्क सड़क निर्माण	43.00.	निविदा मे 3 फर्मो द्वारा भाग लिया गया जिसमे L1 व L2 द्वारा हॉटमिक्स प्लांट से सम्बन्धित दस्तावेज अपलोड नही किये गये। कार्यादेश जारी नही।
2	लूणावास कला से कालीजाल मुख्य सड़क से ग्राम लूणावास भाखर पर स्थित माता जी के मंदिर तक सम्पर्क सड़क निर्माण कार्य।	38.50	सवेंदक को नेगोशियेशन हेतु पत्र दिया गया। जिसका उत्तर संवेदक द्वारा नही दिया गया।
	योग	**81.50**	

नोट :– उपरोक्ता अनुसार कम सख्या 1से 2 में प्रभारी अधिकारी द्वारा एजेण्डे के सम्बद्ध में प्रस्ताव निम्न अनुसार है।

क्र.सं	कार्य का नाम	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा / प्रस्ताव
1	ग्राम सांगरिया से ग्राम भाखरासनी तक सम्पर्क सड़क निर्माण JDA/FTS/59329	निविदा मे 3 फर्मो द्वारा भाग लिया गया जिसमे L1 व L2 द्वारा हॉटमिक्स प्लांट से सम्बन्धित दस्तावेज अपलोड नही किये गये। कार्यादेश जारी नही तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित
2	लूणावास कला से कालीजाल मुख्य सड़क से ग्राम लूणावास भाखर पर स्थित माता जी के मंदिर तक सम्पर्क सड़क निर्माण कार्य। JDA/FTS/26583	निविदा खोली गई सवेंदक को नेगोशियेशन हेतु पत्र दिया गया। संवेदक द्वारा आज दिनांक तक प्रत्युउतर नही दिया गया तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित

C) विषय :– जोन दक्षिण मे कार्यादेश जारी विकास कार्यो के संबंध मे। (कार्यादेश जारी परंतु कार्य शुरू नही)

प्राधिकरण के जोन दक्षिण द्वारा निम्न विकास कार्यो के कार्यादेश जारी किये जा चुके है परंतु उक्त कार्य आज दिनांक तक शुरू नही हो सके। जबकि उक्त कार्यो की समयावधि भी पूर्ण हो चुकी है।

क्र. सं	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	कार्यादेश दिनांक व सं.	विशेष विवरण
1.	मधुबन स्थित बालाजी के मंदिर से खारी की ढाणी तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	30.30	Date- 01-11-17 F38(25)2017-18	कार्यादेश जारी। मौके पर साईट का लेवल नही मिल रहा है तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित ।

2.	Manufacturing, supplying and installation of stutue of veer DURGADAS RATHORE IN SOUTHE ZONE	24.04	Date- 01-11-17 F38(25)2017-18	कार्यादेश जारी परंतु आज दिनांक तक कार्य शुरू नही तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित।
	योग	**54.30**		
	महायोग A+B+C	**450.30**		

नोट :– उपरोक्ता अनुसार कम सख्या 1से 2 में प्रभारी अधिकारी द्वारा एजेण्डे के सम्बद्ध में प्रस्ताव निम्न अनुसार है।

क्र.सं	कार्य का नाम	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	मधुबन स्थित बालाजी के मंदिर से खारी की ढाणी तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य JDA/FTS/26600	कार्यादेश जारी। मौके पर साईट का लेवल नही मिल रहा है तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित
2.	Manufacturing, supplying and installation of stutue of veer DURGADAS RATHORE IN SOUTHE ZONE JDA/FTS/ 13369	कार्यादेश जारी परंतु आज दिनांक तक कार्य शुरू नही तथा प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति निरस्त हेतु प्रस्तावित

एजेण्डा संख्या 8 (5) :: A) विषय :– जोन पूर्व मे विभिन्न विकास कार्यो बाबत्।

प्राधिकरण के जोन पूर्व द्वारा निम्न विकास कार्यो की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृतियां जारी की गई थी जिसकी प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कार्यो की निविदाएं भी जारी की जा चुकी है परंतु उक्त विकास कार्यो के कार्यादेश जारी नही किये जा सके है।

क्र. सं	कार्य का नाम	अनुमानित राशि(लाखो में)	विशेष
1	शाला कीडा संगम गौशाला मैदान में स्केटिंग ग्राउण्ड के दोनो ओर जाली ऊँची करने का कार्य	3.10	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
2	वीर दुर्गादास आरओबी के नीचे रोटरी बालाजी से रिक्यिा भैरूजी चौराहा तक सडक के दोनो और पौधो रोपण मय छः माह संधारण का कार्य	1.30	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
3	Manufacturing,supplying and installation of staue of CAMEL SAFARI (06 NOS)	12.55	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
4	Manufacturing,supplying and installation of staue of RAJASTHANI LOK GAYAK (MUSICIAN)	9.50	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
5	Manufacturing,supplying and installation of staue of SAFA THEME	3.15	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
6	Manufacturing,supplying and installation of starue of LADIES SANGEET (07 NOS)	5.25	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही

7	Manufacturing,supplying and installation of starue BELGADI SWAR(2 BEL&2SAWAR)	8.40	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
8	Manufacturing,supplying and installation of starue of PANIHARIN	9.50	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
9	Manufacturing , supplying and installation of starue of GOOMAR LADIES	9.50	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
10	Manufacturing, supplying and installation of starue of YOGA SERIES	9.50	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा निरस्त
11	नारायण विहार में बनाड मुख्य सडक से जगदम्बा मंदिर तक नई सडक निमार्ण व पुरानी सडक का रिपेरिंग कार्य	7.60	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा जारी नही
12	गौशाला मैदान में लॉन लगाने का कार्य।	17.00	निविदा जारी मौके पर स्थान परिवर्तन होने के कारण निविदा निरस्त
13	रेलवे स्टेडियम से रिक्तिया भैरूजी तक रोड चौडाईकरण व अन्य सिविल कार्य।	151.60	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा निरस्त
14	जोन पूर्व में शहर की मुख्य सडको पर वृक्षारोपण व तीन वर्ष का संधारण कार्य।	83.97	प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी निविदा निरस्त
15	भास्कर चौराहा से रातानाडा सब्जी मंडी तक रोड चौडाईकरण व अन्य सिविल कार्य।	135.60	निविदा जारी 72 दिन व्यतीत होने के कारण निविदा निरस्त
16	Construction of parking area from jda circle to bhasker circle jodhpur	140.20	निविदा निरस्त
17	जोधपुर शहर में विभिन्न स्थानो पर वार्षिक अनुबंध के तहत ओपन एयर जिम उपकरण आपूर्ति एवं लगाने का कार्य।	99.00	निविदा जारी कार्य आचार संहिता लागु होने के कारण कार्यादेश जारी नहीं
	कुल राशि	**706.72**	

नोट :– उपरोक्ता अनुसार कम सख्या 1से 17 में प्रभारी अधिकारी द्वारा एजेण्डे के सम्बद्ध में प्रस्ताव निम्न अनुसार है।

क्र.सं	कार्य का नाम	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा / प्रस्ताव
01	शाला कीडा संगम गौशाला मैदान में स्केटिंग ग्राउण्ड के दोनो ओर जाली ऊँची करने का कार्य।	निविदा जारी नही अतः कार्य की प्रशासनिकएंव वितिय स्वीकृति को निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
02	वीर दुर्गादास आरओबी के नीचे रोटरी बालाजी से रिक्या भैरूजी चौराहा तक सडक के दोनो और पौधो रोपण मय छः माह संधारण का कार्य।	निविदा जारी नही अतः कार्य की प्रशासनिकएंव वितिय स्वीकृति को निरस्त किया जाना प्रस्तावित।

317

03	Manufacturing,supplying and installation of staue of CAMEL SAFARI (06 NOS)	निविदा जारी नही अतः कार्य की प्रशासनिकएंव वितिय स्वीकृति को निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
04	Manufacturing,supplyingand installation of staue of RAJASTHANI LOK GAYAK (MUSICIAN)	निविदा जारी नही अतः कार्य की प्रशासनिकएंव वितिय स्वीकृति को निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
05	Manufacturing,supplying and installation of staue of SAFA THEME	निविदा जारी नही अतः कार्य की प्रशासनिकएंव वितिय स्वीकृति को निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
06	Manufacturing,supplying and installation of starue of LADIES SANGEET (07 NOS)	निविदा जारी नही अतः कार्य की प्रशासनिकएंव वितिय स्वीकृति को निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
07	Manufacturing,supplying and installation of starue BELGADI SWAR(2 BEL&2SAWAR)	निविदा जारी नही अतः कार्य की प्रशासनिकएंव वितिय स्वीकृति को निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
08	Manufacturing,supplying and installation of starue of PANIHARIN (07 NOS)	निविदा जारी नही अतः कार्य की प्रशासनिकएंव वितिय स्वीकृति को निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
09	Manufacturing, supplying and installation of starue of GOOMAR LADIES कार्य।	निविदा जारी नही अतः कार्य की प्रशासनिकएंव वितिय स्वीकृति को निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
10	Manufacturing, supplying and installation of starue of YOGA SERIES	निविदा जारी नही अतः कार्य की प्रशासनिकएंव वितिय स्वीकृति को निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
11	नारायण विहार में बनाड मुख्य सडक से जगदम्बा मंदिर तक नई सडक निमार्ण व पुरानी सडक का रिपेरिंग कार्य।	निविदा जारी नही अतः कार्य की प्रशासनिकएंव वितिय स्वीकृति को निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
12	गौशाला मैदान में लॉन लगाने का कार्य।	निविदा जारी नही अतः कार्य की प्रशासनिकएंव वितिय स्वीकृति को निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
13	रेलवे स्टेडियम से रिक्तिया भैरूजी तक रोड चौडाईकरण व अन्य सिविल कार्य।	निविदा जारी नही अतः कार्य की प्रशासनिकएंव वितिय स्वीकृति को निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
14	जोन पूर्व में शहर की मुख्य सडको पर वृक्षारोपण व तीन वर्ष का संधारण कार्य।	निविदा जारी नही अतः कार्य की प्रशासनिकएंव वितिय स्वीकृति को निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
15	भास्कर चौराहा से रातानाडा सब्जी मंडी तक रोड चौडाईकरण व अन्य सिविल कार्य।	निविदा जारी नही अतः कार्य की प्रशासनिकएंव वितिय स्वीकृति को निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
16	Construction of parking area from jda circle to bhasker circle jodhpur	निविदा जारी नही अतः कार्य की प्रशासनिकएंव वितिय स्वीकृति को निरस्त किया जाना प्रस्तावित।
17	जोधपुर शहर में विभिन्न स्थानो पर वार्षिक अनुबंध के तहत ओपन एयर जिम उपकरण आपूर्ति एवं लगाने का	निविदा जारी आचार संहिता में कार्यादेश जारी नहीं अतः कार्य की प्रशासनिक एंव वितिय स्वीकृति को निरस्त किया जाना

अ०

	कार्य।	प्रस्तावित।

B) विषय :– जोन पूर्व मे कार्यादेश जारी विकास कार्यो के संबंध मे।

प्राधिकरण के जोन पूर्व द्वारा निम्न विकास कार्यो के कार्यादेश जारी किये जा चुके है परंतु उक्त कार्य आज दिनांक तक शुरू नही हो सके।

क्र. सं	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	कार्यादेश दिनांक	कार्यादेश सं.
1.	श्री आसूराम जी की मूर्ति निर्माण व स्थापना का कार्य।	5.90 लाख	05.10.2018	F 38 (51)2018-19
2	Work of road widening and civil work of JDA Circle to Bhaskar circle Jodhpur	284.35	6-09-2018	F 38 (41)2018-19
3	एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक नवीन डिवाईडर लगाने का कार्य	315.80	25-09-2018	F 38(45)2018-19
	कुल राशि	**606.05**		
	महायोग A+B	**1312.77**		

नोट :– उपरोक्ता अनुसार कम सख्या 1से 4 में प्रभारी अधिकारी द्वारा एजेण्डे के सम्बद्ध में प्रस्ताव निम्न अनुसार है।

क्र. सं	कार्य का नाम	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मेअभिशंषा/प्रस्ताव	कार्यादेश सं.
1.	श्री आसूराम जी की मूर्ति निर्माण व स्थापना का कार्य।	कार्यादेश जारी , कार्य शुरू नही।	F38(51)2018-19
2	Work of road widening and civil work of JDA Circle to Bhaskar circle Jodhpur	कार्यादेश जारी , कार्य शुरू नही।	F38(41)2018-19
3	एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक नवीन डिवाईडर लगाने का कार्य।	कार्यादेश जारी , कार्य शुरू नही।	F38(45)2018-19

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जिन कार्यों के कार्यस्थल पर कोई शिलापट्टीका नहीं लगी है उन्हें तत्काल निरस्त (विड्रा) किये जाने का निर्णय लिया गया तथा जिन कार्यों के कार्यस्थल पर शिला पट्टीका लगी हुई है उनकी सूची आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम में स्थित खेल मैदान, हॉल व कमरे आवंटन करने पर विद्युत दर एवं सफाई शुल्क का निर्धारण करने के संबंध में।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 03 मार्च 2017 के प्रस्ताव संख्या 31 में बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम खेल मैदान, कमरे एवं हॉल का आवंटन करने के संबंध में नियम/विनियम शर्तो का निर्धारण किया गया था। जिसका अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड बैठक

37

दिनांक 15 मई 2017 के प्रस्ताव संख्या 06 में किया गया। जिसके अंतर्गत आवेदन हेतु मापदण्ड एवं धरोहर राशि, आवंटन का प्रयोजन, दरें, मांग पत्र आवंटन की अधिकतम समयावधि आवंटन निरस्त एवं धरोहर राशि वापसी के प्रावधान बनाये गये थे। जिसमें खेल मैदान, हॉल एवं कमरों के रहवासीय प्रयोजनार्थ अस्थाई आवंटन करने के उपरान्त विद्युत दर एवं सफाई शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया था। जिसके कारण प्राधिकरण को राजस्व हानि हो रही है। इस संबंध में संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भी भविष्य में अस्थाई आवंटन करने पर विद्युत दर एवं सफाई शुल्क लिये जाने के आदेश दिये गये है।

अतः बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम में स्थित खेल मैदान, हॉल एवं कमरों का अस्थाई आवंटन करने पर विद्युत दर एवं सफाई शुल्क निर्धारण हेतु प्रकरण बैठक में उचित निर्णयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में उपस्थित उपायुक्त–दक्षिण ने अवगत कराया कि प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 03 मार्च 2017 के प्रस्ताव संख्या 31 में बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम खेल मैदान, कमरे एवं हॉल का आवंटन करने के संबंध में नियम/विनियम/शर्तो का निर्धारण किया गया था। जिसका अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 15 मई 2017 के प्रस्ताव संख्या 06 में किया गया। जिसके अंतर्गत आवेदन हेतु मापदण्ड जैसेः– धरोहर राशि, आवंटन का प्रयोजन, दरें, मांग पत्र, आवंटन की अधिकतम समयावधि, आवंटन निरस्त, धरोहर राशि वापसी के प्रावधान बनाये गये थे। उपरोक्त निर्धारित नियमों/शर्तो में विभिन्न कमियां पाई गई। जिसका समय समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा संशोधन किये जाने के निर्देश दिये गये है। नियम/विनियम/शर्ते जिनमें संसोधन किया जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

1. <u>बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम में निर्धारित किराया दरों की पुनः समीक्षा के संबंध में:–</u>

वर्ष 2017 से पूर्व जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्टेडियम की किराया राशि 5000/– प्रतिदिन निर्धारित थी। तत्पश्चात वर्ष 2017 में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 15 मई 2017 के प्रस्ताव संख्या 06 में स्टेडियम की किराया राशि 5000/– से सीधा 20000/–रू किराया दर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

वर्तमान में जोधपुर शहर में विभिन्न खेल–कूद ग्राउण्ड में निम्नलिखित दरें वसूली जा रही है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

1. पुराना रेलवे ग्राउण्ड	:–	7000/– प्रतिदिन
2. न्यू रेलवे ग्राउण्ड	:–	5000/– प्रतिदिन
3. हनवन्त स्कूल क्रिकेट ग्राउण्ड	:–	5000/– प्रतिदिन
4. मयूर स्कूल क्रिकेट ग्राउण्ड	:–	5000/– प्रतिदिन
5. धरोहर क्रिकेट ग्राउण्ड (डी.पी.एस. स्कूल पाल रोड के सामने)	:–	5000/– प्रतिदिन
6. विरू क्रिकेट ग्राउण्ड (प्राईवेट)	:–	5000/– प्रतिदिन
7. शारिरिक शिक्षा कॉलेज क्रिकेट ग्राउण्ड एयरफोर्स	:–	4500/– प्रतिदिन
8. लाचू कॉलेज क्रिकेट ग्राउण्ड जोधपुर	:–	4000/– प्रतिदिन

जिसके परिणामस्वरूप बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन में कमी पाई गई एवं परिणामस्वरूप प्राधिकरण को राजस्व प्राप्ति में भारी कमी आई है।

2. <u>बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम में विद्युत दर एवं सफाई शुल्क का निर्धारण करने के संबंध में:–</u>

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 15 मई 2017 के प्रस्ताव संख्या 06 में हॉल हेतु 2000/–रू. प्रतिदिन एवं कमरों हेतु 1000/–रू. प्रतिदिन मय टैक्स शुल्क का निर्धारण किया

गया था परन्तु स्टेडियम में स्थित खेल मैदान हेतु सफाई शुल्क व हॉल एवं कमरों के आवंटन करने पर विद्युत दर/सफाई शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया था। जिसके कारण प्राधिकरण को राजस्व हानि हो रही है। इस संबंध में संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भी भविष्य में आवंटन करने पर विद्युत दर एवं सफाई शुल्क लिये जाने के आदेश दिये गये है। अतः उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

3. बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम खेल मैदान/हॉल/कमरें का रियायती दर पर आवंटन के संबंध में:–

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 15.05.2017 के बिन्दु संख्या 3 दर के संबंध में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सरकारी विभाग, दिव्यांग, पूर्व सैनिक आदि को निःशुल्क आवंटन का अधिकार जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त को अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की पूर्व अनुमति के साथ आवंटन किये जाने के प्रावधान/नियम बनाये गये थे।

निःशुल्क आवंटन के साथ रियायती दर पर आवंटन के प्रावधान नही बनाये जाने के कारण समय–समय पर स्थानीय विधायक/सांसद/मंत्री/स्थानीय जिला क्रिकेट एसोसियेशन/राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन व स्थानीय अन्य खेल–कूद रजिर्स्टड एसोसियेशन एवं नॉन स्पोर्टस एक्टिविटी के आवेदन/प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रियायती दर के संबंध में उचित नियम नहीं होने के कारण असंमजंस की संभावना बनी रहती है। जिसके संबंध में उचित निर्णय लिया जाना है।

4. बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम खेल मैदान का बाहरी भाग के आवंटन के संबंध में:–

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 15.05.2017 में बनाये गये नियम/विनियम/शर्तो के अंतर्गत बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम खेल मैदान का बाहरी भाग विभिन्न नॉन स्पोर्टस एक्टिविटी जैसे:–मैराथन दौड़, कैम्प, बाईक स्टंट प्रोग्राम, स्टॉल हेतु आवेदन प्राप्त होने पर दरों का निर्धारण नही किया गया है। जिसके संबंध में भी नियम एवं शर्ते बनाई जानी है।

5. बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम में स्थित फलड लाईट के उपयोग के संबंध में:–

वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित होने पर स्टेडियम में स्थित फलड लाईटों का रात्रिकालीन उपयोग करने पर खेल मैदान किराया प्रतिदिन 20000/– रू., फलड लाईट एक दिन में कम से कम 4 घण्टे उपयोग करने पर डीजल सहित किराया 60000/–रू प्रतिघण्टा एवं सिक्योरिटी राशि 50000/–रू. सम्पूर्ण प्रतियोगिता हेतु अन्य कर सहित दर निर्धारित की गई है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

1– बरकतुल्लाह खां स्टेडियम को किराये पर दिये जाने की निम्नानुसार दर निर्धारित की जाती है:–

क्र. सं.	स्थल	समयावधि	प्रयोजनार्थ	दरें	सिक्योरिटी राशि
1.	खेल मैदान	2 घंटे	खेलकूद	4000/–रूपये	10000/– रूपये
2.	खेल मैदान	4 घंटे	खेलकूद	6000/– रूपये	10000/– रूपये
3.	खेल मैदान	प्रतिदिन	क्रिकेट प्रतियोगिता	15000/– रूपये	20000/– रूपये

2— बरकतुल्लाह खां स्टेडियम आरक्षण हेतु प्रस्तुत सिक्यूरिटी राशि के लिए ड्राफ्ट उपलब्ध किया जाता हैं उस स्थिति में उसको खाते में जमा नहीं करवाकर कर उसको किराया अवधि समाप्त होने पर तथा ग्राउण्ड की स्थिति सही पाये जाने पर उसी ड्राफ्ट को पुनः आवेदक को लौटा दिया जावे।

3— बरकतुल्लाह खां स्टेडियम खेल गतिविधियों के अलावा आवंटन नहीं करना है।

4— प्रस्तावानुसार हॉल हेतु 1000/— रूपये, कमरों हेतु 500 रूपये प्रति दिन मय टैक्स शुल्क निर्धारण करने का निर्णय लिया गया तथा निःशुल्क आवेदन प्राप्त होने पर विद्युत दर/सफाई शुल्क लिये जाने के संबंध में हॉल हेतु 200/— रूपये एवं कमरे हेतु 100/—रूपये निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

5— रजिस्ट्रर्ड एसोसिएशन/मान्यता प्राप्त खेल संघों को निर्धारित किराया के 50 प्रतिशत शुल्क पर दिया जावे। राजकीय विभागों को निःशुल्क आवंटन के लिए आयुक्त महोदय को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

6— प्रस्तावानुसार बरकतुल्लाह खां स्टेडियम का बाहरी भाग के भाग के उपयोग 2000/— रूपये प्रति दिन की दर निर्धारण करने का निर्णय लिया गया।

7— रात्रि कालीन क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित होने पर खेल मैदान की दर 15000/— रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है एवं फ्लड लाईट के उपयोग हेतु स्वीकृत दरें यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: लोकसभा आम चुनाव—2019 के अंतर्गत स्वीप के तहत दिनांक 07 अप्रैल 2019 को बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम से मैराथन दौड़ निःशुल्क आयोजित करने के संबंध में।

संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा इस प्रस्ताव को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक की प्रत्याशा में प्रभारी अधिकारी एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जोधपुर को निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति दी गई है। अतः प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रभारी स्वीप एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जोधपुर के पत्र कमांक 47—52 दिनांक 02.04.2019 के द्वारा लोकसभा आम चुनाव—2019 के अंतर्गत स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने हेतु विभिन्न गतिविधियां संपादित किये जाने हेतु दिनांक 07 अप्रैल 2019 को स्वीप कार्यक्रम के तहत बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम में मैराथन दौड़ आयोजित होने पर कार्यालय टिप्पणी के पैरा एन/24 पर संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति देते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण की ऑथोरिटी की अग्रिम बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में एनीबडी केन रन ट्रस्ट को आयोजन संपादन करने हेतु प्राधिकरण के पत्र कमांक 1449 दिनांक 05 अप्रैल 2019 के तहत अस्थाई आवंटन पत्र उपरोक्त प्रयोजनार्थ प्रभारी स्वीप एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जोधपुर को जारी किया गया था। अतः प्रकरण बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: योग एवं ध्यान शिविर आयोजित करने हेतु बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम का निःशुल्क उपयोग करने के संबंध में।

संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा इस प्रस्ताव को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक की प्रत्याशा में 10 प्रतिशत रियायती दर पर आवंटन की स्वीकृति दी गई है। अतः प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की बैठक दिनांक 25 सितम्बर 2018 के प्रस्ताव संख्या 22 में सन टू ह्यूमन एसोसियेशन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर योग एवं ध्यान शिविर आमजन के स्वास्थ्य के लिए आयोजित होने पर प्राधिकरण के पूर्व में बनाये गये नियमों/विनियमों में शिथिलता देते हुए प्रचलित दर की 10 प्रतिशत दर से दिनांक 09 मई 2019 से 21 मई 2019 तक दो पारियों में कुल 13 दिवस के लिये नियमानुसार राशि जमा कर बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम का खेल मैदान अस्थाई आवंटन किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 18.04.2019 को आयुक्त महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष पुनः प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 06.05.2019 से 08.05.2019 तक कुल 3 दिवस हेतु ओर बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम स्वीकृत रियायती दर पर आवंटन चाहा गया। जिसके अंतर्गत कार्यालय टिप्पणी के पैरा एन/35 पर संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आगामी प्राधिकरण बोर्ड बैठक की प्रत्याशा में रियायती दर पर आवंटन की स्वीकृति दी गई।

तत्पश्चात आयोजनकर्ता सन टू ह्यूमन एसोसियेशन द्वारा तीसरी बार प्रार्थना पत्र आयुक्त महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम में स्थित हॉल एवं कमरे दिनांक 09.05.2019 से 20.05.2019 तक कुल 11 दिवस के लिए रियायती दर 10 प्रतिशत पर आवंटन की अनुमति चाही गई थी। जिसकी पालना में कार्यालय टिप्पणी के पैरा एन/43 पर संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा इस प्रस्ताव को भी आगामी प्राधिकरण की बोर्ड बैठक की प्रत्याशा में रियायती दर 10 प्रतिशत पर अस्थाई आवंटन की स्वीकृति दी गई थी। अतः प्रकरण बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: आवंटित भूमि/भूखण्ड का कब्जा दिया जाने के संबंध एवं वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

प्राधिकरण बैठक दिनांक 23.4.2012 के अनुसार वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन का निर्णय राजीव गांधी नगर योजना में किया गया था चूंकि उक्त योजना में भूखण्ड एवं सडक का सही माप नही होने से इसके अतिरिक्त अरणा, झरणा व आनंद विहार में रिक्त वैकल्पिक भूखण्ड हेतु आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

प्राधिकरण बैठक दिनांक 23.4.2012 के प्रस्ताव सं. 4(11) में निर्णय लिया कि तत्कालीन नगर विकास न्यास/प्राधिरकरण द्वारा पूर्व में किसी भी योजना अंर्तगत भूमि/भूखण्ड आवंटन किये गए है। जिसके आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड की राशि जमा करायी हो किन्तु आवंटित भूमि/भूखण्ड अतिकमण अथवा भौतिक कब्जा सुपुर्द नही किया गया है एवं अन्य किसी कारणों से भूमि का कब्जा नही दिया जाने पर प्राधिकरण की आवासीय योजना राजीव गांधी चौखा में आवंटी से विकल्प लिया जावे। राजीव गांधी योजना भूखण्ड लेने के इच्छुक हो तो आवंटी से सहमति लेकर समान क्षेत्रफल एवं समान सडक चौडाई पर भूमि/भूखण्ड आवंटन किया जाना

प्रस्तावित है। यदि माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में न्यायालय द्वारा रामराज नगर योजना में आंवटन करने का निर्णय लिया गया हो तो इस स्थिति में आवंटी से समान क्षेत्रफल एवं समान सडक चौडाई पर भूखण्ड की सहमति लेकर न्यायालय के निर्णय की पालना की जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त यदि राजीव गांधी योजना में भूखण्ड का माप एवं सडक की चौडाई समान नही होने पर प्राधिकरण की आवासीय योजना अरणा विहार, झरना विहार एवं आनंद विहार में रिक्त भूखण्ड समान क्षेत्रफल एवं समान सडक चौडाई पर वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। प्लाट शिफ्टिंग नीति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है। अतः प्रकरण प्राधिकरण बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णित किया गया कि भूखण्ड समकक्ष दिया जावे समान क्षैत्रफल का भूखण्ड उपलब्ध नहीं हो तो लगभग समान (थोडा कम या ज्यादा) क्षैत्रफल का भूखण्ड दे दिया जावे तथा प्लाट शिफिटंग में राजीव गांधी नगर, आनन्द विहार, अरणा विहार एवं झरणा विहार के विकल्प देकर स्थानान्तरण/क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 13 :: प्राधिकरण में e-office लागु करने के सम्बंद्ध में ।

Agenda Note

e-Office Project implementation at JDA, Jodhpur. JDA is interested in adopting e-Office. Purpose as per discussion held with State Informatics Officer & DDG, Jaipur and NIC Delhi Team, we have following requirements:-

1. Authority is interested in obtaining e-office premium for its functioning.
2. We don't want to keep data locally on our servers as we are not well versed with security issues. We would prefer to keep data on NIC cloud/State/National data center so that proper security protocols are followed.
3. We want to access e-office via our laptops/mobile phones also through internet while travelling etc. The access should not be restricted to office computers only.
4. We want facility of e-sign through aadhar linked mobile OTP and, not DSC.
5. We want to build certain features on top of e-office to enhance transparency and accountability, for this in case amendments are not possible within in e-office, we want to access all our data through web services/ api/ direct database access.

Some of the features we want are (this may change in future):-

a. We want to make pendency and other admin reports public.
b. We want the citizen to have real time view access to his/her file.
c. We want to make scanned pdfs machine searchable.

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से e-office project को NIC के माध्यम से जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में लागु करने का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से:–

प्रस्ताव संख्या 14 :: सुन्दरसिंह भण्डारी नगर के समीप सुन्दरसिंह भण्डारी नगर विस्तार आवासीय योजना खसरा संख्या 289 ग्राम बासनी मालियान (रकबा 298010.43 वर्गगज भूमि) लांच करने, नियमानुसार आवेदन–पत्र आमंत्रित करने, आवेदन–पत्रों के आधार पर लॉटरी निकाल कर भूमि आवंटन करने के संबंध में। JDA/FTS/ 92902

बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 4 जुलाई, 2019 में जरिये प्रस्ताव संख्या 29 निम्नलिखित अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:–

प्राधिकरण द्वारा सुन्दरसिंह भण्डारी नगर के पास ही ग्राम बासनी मालियान के खसरा संख्या 289 रकबा 298010.43 वर्ग गज भूमि पर सुन्दर सिंह भण्डारी नगर विस्तार आवासीय योजना का ले–आऊट प्लान दिनांक 22 मई, 2019 को आयोजित ले आउट प्लान समिति की बैठक में पारित किया गया है। उक्त योजना में विभिन्न आकारों के कुल 389 भूखण्ड है जिनमें से 56 भूखण्ड कॉर्नर है।

अतः उक्त सुन्दरसिंह भण्डारी नगर विस्तार योजना के लांच करने, योजना में नियमानुसार भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित करने, आवेदन–पत्रों के आधार पर लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। जिस पर बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार सुन्दरसिंह भण्डारी नगर विस्तार योजना का अनुमोदन कराने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ आगामी प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण सहवन से आज की बैठक में एजेण्डे में शामिल नहीं हो सका लेकिन यह प्राधिकरण हित में अत्यन्त आवश्यक है। अतः इस प्रस्ताव पर बैठक में विचार विमर्श किया जाकर इस संबंध में निर्णय लिया जाना उचित होगा। बैठक में अध्यक्ष महोदय तथा समस्त उपस्थित सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव को बैठक में प्रस्तुत करने पर सहमति प्रदान की। जिस पर बैठक में बाद विचार विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 4 जुलाई, 2019 में जरिये प्रस्ताव संख्या 29 लिये गये निर्णय का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह बैठक कार्यवाही विवरण पत्रावली (बैठक शाखा/2018/भाग–8 प्राधिकरण की बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 43/एन. में अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित है)

(उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 2014 के नियम 12 (2) में प्रावधान है कि यदि बैठक में उपस्थित पचास प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य कार्यवृत्त प्राप्ति के सात दिवस के भीतर किसी विशिष्ट विनिश्चय या विनिश्चयों का कार्यवृत या उसके किसी भाग के गलत तथा/ या त्रुटिपूर्ण अभिलेखन के आधार पर आपत्ति करें और

निवेदन करे कि उक्त विनिश्चय या विनिश्चयों का कियान्वयन रोक दिया जावेगा और अगली बैठक में ऐसे विनिश्चय लिये जाने तक कियान्वित नहीं किया जावेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के पच्चीस प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें और उसके या उनके प्रवर्तन को रोकने के लिए निवेदन करें तो अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, अगली बैठक तक, जब प्रश्न विनिश्चय के लिए रखा जायेगा, कियान्वयन रोक सकेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के बीस प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें तो उनकी आपत्ति या आपत्तियां विनिश्चय के लिए अगली बैठक में रखी जावेगी।

कार्यवृत्त जब तक कि रोक या उलट न दिया गया हो, संशोधन या उपान्तरित न कर दिया गया हो, पीठासीन सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षरों के पश्चात् पुष्ट किया हुआ समझा जायेगा। परन्तु विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण, संशोधन या उनके उलटे जाने से विनिश्चय या विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण/संशोधन या उनके उलटे जाने से पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पडेगा)

(ओ.पी. बुनकर)
सचिव

कमांक/बैठक/2019/938 से 950 दिनांक :: 27 अगस्त, 2019

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अतिरिक्त शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर
03. जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, जोधपुर
04. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
05. संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
06. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
09. उप आवासन आयुक्त–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
10. वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
11. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी/ आयोजना/ वित्त/ विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, उप सचिव, भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अधीक्षण अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
16. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. [illegible] RAJREDCO [illegible] जयपुर

(ओ.पी. बुनकर)
सचिव

परिशिष्ट–1

श्री बी.एल. कोठारी, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 2 अगस्त, 2019 को सांय 4.00 बजे आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण

1. श्री घनश्याम औझा, महापौर, नगर निगम, जोधपुर
2. श्री गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस., आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. श्री सुरेश कुमार औला, आयुक्त, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर
4. श्री ओ.पी. बुनकर, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5. श्रीमती सीमा कविया, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर–प्रथम), जोधपुर
6. श्री संजीव माथुर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
7. श्री शंकर लाल मंसूरिया, उप अधीक्षक पुलिस (ग्रामीण), जोधपुर
8. श्री भानुप्रताप, उपनिदेशक, पर्यटन विभाग, जोधपुर
9. श्री वी.के. छंगाणी, अधीक्षण अभियन्ता (शहर) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
10. श्री नरेन्द्र बोहरा, उप आवासन आयुक्त–द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
11. श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री तुलसीदास शर्मा, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री जे.के. चौहान, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री पी.आर. बेनीवाल, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री ओ.पी. विश्नोई, उपायुक्त–दक्षिण/पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–पश्चिम/उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर